फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 204 जून 2005

कहत कबीर

सुफल जीवन गहरे, दीर्घ, व्यापक सम्बन्धों में है। कदम- कदम पर होड़ से बचने के प्रयास, इक्कीस बनने के फेर में नहीं पड़ना सुफल जीवन की ओर कदम हैं।

कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकर क्या-क्या कर सकते हैं (5)

– वर्तमान समाज व्यवस्था में बढती अनिश्चितता, बढती अस्थिरता प्रत्येक के लिये नये स्थान, नये कार्य, नये लोग की एक सतत प्रक्रिया लिये है। नित नये से वास्ता, खासकरके निपटने के सन्दर्भ में, अपने संग असहज करना लिये है। कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों की तो इस व्यवस्था में नियति ही नित नये से रूबरू होने वाली है। ऐसे में अजनबी का, अनजान का, नये का, नयेपन का लाभ उठाना मण्डी की राह के राही बनना और अपनी दुर्गत बढाने की राह पर बढना है। नये से सहयोग, नये की सहायता, अनजान की मदद करना मण्डी पर चोट करना है। अजनबियों की मदद करना मण्डी के खिलाफ माहौल बनाने की राह पर बढना है। नये- असहज से दोस्ताना व्यवहार तालमेलों के लिये पुख्ता आधार भी प्रदान करता है। "मैं अकेली क्या कर सकती हूँ – मेरे अकेले करने से क्या फर्क पड़ेगा" के चक्रव्यूह से निकलने के लिये, "अकेले" को "दुकेले" करने के लिये नये से सद्व्यवहार कीजिये!

– बढते पैमाने पर तालमेलों के लिये कुछ बहुत- ही आसान कदम यह लगते हैं :

●अपनी बातों को अपने में लिये नहीं रहना। जगह- जगह के अनुभवों व विचारों को साँझा करना।

●निजी के संग- संग सामुहिक तकलीफों पर भी चर्चायें करना।

●विरोध में निजी कदम बहुत उठते हैं। उनका असर है। निजी की तुलना में हमारे अपने नियन्त्रण में वाले सामुहिक कदम कम उठते हैं। सहज, सरल सामुहिक कदम जिन्हें उठाया जा सकता है उन पर लगातार चर्चायें इन कदमों को बढाती हैं। इन चर्चाओं का सामान्य बनना चमचों- कड़छों के खतरे भी कम करना लिये है।

●सहकर्मी पर सुपरवाइजर की धौंस पर विभिन्न प्रकार से एतराज करना। किसी मजदूर से साहब के दुर्व्यवहार को उस मजदूर की खिल्ली उड़ाने का जरिया बनाने की बजाय अपने साथी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तालमेल के लिये मजबूत आधार बनाना है।

–अनुभव दर अनुभव और ठोकर दर ठोकर के बावजूद उसी ढर्रे पर चलते हुये "देखो इस बार क्या होता है?" जैसे फिकरे इस्तेमाल करना दुर्गत बढाना लिये है। मजदूरों पर कम्पनियों के नियन्त्रण को पुख्ता करती यूनियनों की नौटंकियों/ साजिशों को बार- बार भुगतते स्थाई मजदूर आमतौर पर इस "देखो इस बार क्या होता है?" के शिकार हुये हैं। कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों की जिन्दगी एक फैक्ट्री में नहीं बीतती। दसियों जगह के खुद के अनुभव और अपने जैसों से होते आदान- प्रदान हकीकत की एक अधिक व्यापक समझ देते हैं। "देखो क्या होता है?" को त्यागना और हालात को बदलने के लिये "हम क्या- क्या कर सकते हैं? बेहतर कैसे कर सकते हैं?" को अपनाना अधिक सहज बनता जा रहा है – आइये कोशिशें बढायें।

"आज मैंने इतने पीस निकाले" कह कर जो गर्व- सा प्रकट किया जाता है वह वास्तव में दुख की बात है। "बफिंग में पीस रेट पर मैंने दस वर्ष खूब कमाया। तनखा वालों से ज्यादा पैसे बना लेता था। खुद को काम में जोत कर दुगना उत्पादन देता था। ज्यादा समय काम में लगे रहने के फेर में रहता था। परन्तु मैंने अपना शरीर खराब कर लिया। पहले मैं बहुत तगड़ा था.... ।"

तनखा लगातार कम करने की प्रक्रिया इस व्यवस्था के चरित्र में है। ऐसे में गुजारा अधिकाधिक मुश्किल होता जाता है। खर्च से पार पाने के फेर में हम दलदल में धँसते जाते हैं – अधिक समय तक काम, एक ही समय पर एक से अधिक जगह नौकरी, नौकरी के संग कोई अन्य धन्धे भी, पति के अतिरिक्त पत्नी द्वारा नौकरी, रफ्तार बढाना.. ..... अपने तन व मन को ज्यादा, और ज्यादा मारना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। असल में इस व्यवस्था से पार पाने की आवश्यकता है और इसके लिये इसे समझने के प्रयास करना हमारी अपनी जरूरत है।(जारी)

तनखा नहीं देने पर

अजूबा है मजदूरों से उधार लेना। जबरन ली जाती है मजदूरों से उधार। कानून बना रखा है कि 37- 40 दिन काम करवाने के बाद 30 दिन के पैसे देंगे। और कम्पनियों द्वारा निर्धारित समय पर तनखा नहीं दे कर इस कानून का उल्लंघन भी आम बात बन गई है। फैक्ट्रियों में 8 की जगह 12 घण्टे की शिफ्ट और साप्ताहिक छुट्टी नहीं देने के जरिये कम्पनियाँ 37- 40 दिन में मजदूरों से 60- 66 दिन का काम लेने लगी हैं। कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन फरीदाबाद हो चाहे दिल्ली, 70- 80 प्रतिशत मजदूरों को नहीं दिया जा रहा। कानून अनुसार ओवर टाइम का भुगतान डबल रेट से करने के दायरे से बाहर तो 95 प्रतिशत मजदूर कर रखे हैं। कम्पनियों द्वारा अपने ही कानूनों का पालन नहीं करने और बढ़ते पैमाने पर मजदूरों से यह जबरन उधार लेने ने मुद्रा के पूँजी बनने के लिये आवश्यक मात्रा के सूत्र को उलट- पुलट दिया है। जबरन उधार के बारे में आपस में विचार- विमर्श तो जरूरी है ही, बार- बार नौकरी छूटने और हर बार 10- 15 दिन के पैसे नहीं देने की कम्पनियों की बढती प्रवृति पर रोक के लिये एक कदम श्रम विभाग में इस प्रकार शिकायत करना भी है–

श्रीमान श्रम निरीक्षक (सम्बन्धित क्षेत्र), अथवा श्रीमान श्रम उपायुक्त फरीदाबाद/दिल्ली/.....

विषय : मजदूर को तनखा नहीं देना।

महोदय/महोदया,

मैं, ...(नाम),.....(फैक्ट्री का नाम व पूरा पता), का मजदूर हूँ/था। मुझे..... (माह) के.....(इतने दिन) की तनखा कम्पनी ने नहीं दी है। श्रीमान से अनुरोध है कि कानून अनुसार कार्रवाई कर मुझे मेरी तनखा दिलवायें।

दिनांक..... आपका

.....(नाम और हस्ताक्षर) पता.....

हाथ से लिख कर ऐसी दरखास्त की दो फोटो कॉपी बनवा लें। श्रम विभाग में आवेदन की दो प्रति लेंगे। प्राप्ति को अपनी प्रति पर दर्ज करवा लें और तारीख जिस पर पहुँचना है जरूर- जरूर पूछ लें, निश्चित करवा लें। इसमें थोड़ी भाग- दौड़ के अलावा मजदूर के कोई पैसे खर्च नहीं होते। मामला थोड़े दिन की तनखा का, थोड़े पैसों का होता है और कम्पनी को इसमें वकील करना आदि महँगे पड़ते हैं। और, श्रम अधिकारी पैसे खा कर भी मामले को रफा- दफा नहीं कर सकते। ज्यादा मजदूरों द्वारा इस प्रकार की शिकायतें कम्पनियों की महीना- बीस दिन की तनखा खा जाने की बढती आदत पर लगाम लगायेंगी।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून : ●37–40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7–10 तारीख तक दे ही देना; ●8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगनी दर से; ● हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा इस समय अकुशल मजदूर-हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी पर 90 रुपये 13 पैसे और महीने में 4 छुट्टी पर 2343 रुपये 37 पैसे;

मैटल फोरमर्स, 61 सै-24, में महिला मजदूरों की तनखा 1200-1300 रुपये, पुरुष हैल्परों को 1400 देते थे पर लोग नहीं मिले तब 1600 किये; **ग्राइन्डवैल,** 56 बी/2 इन्ड. एरिया, में ड्युटी सुबह 8 से साँय 7 तक, ओवर टाइम सिंगल रेट से, हैल्पर की तनखा 1600 रुपये; **नौनिहाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग,** 665 सै-58, में अप्रैल की तनखा 18 मई तक नहीं; **इन्जेक्टो,** 20/5 मथुरा रोड़, में मार्च और अप्रैल की तनखायें 18 मई तक नहीं, 4 वर्ष का बोनस बकाया; **सिकन्द लिमिटेड,** 61 इन्ड. एरिया, में मार्च की तनखा 2 मई को दी, अप्रैल का वेतन 12 मई तक नहीं; **श्याम टैक्स इन्टरनेशनल,** 4 सै-6, में 12-12 घण्टे की शिफ्ट, साप्ताहिक छुट्टी नहीं, ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को मार्च की तनखा 29 अप्रैल को दी, अप्रैल का वेतन 18 मई तक नहीं; **ओरियन्ट स्टील,** 20/1 मथुरा रोड़, में अप्रैल की तनखा 18 मई तक नहीं; **शिवालिक प्रिन्ट्स,** 7,21-22, 47-48 सै-6, में 12-12 घण्टे की शिफ्ट, ओवर टाइम सिंगल रेट से, ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को अप्रैल की तनखा प्लॉट 48 में 17 मई को दी और प्लॉट 7 व 21 में 18 मई तक नहीं, प्लॉट 7 में ठेकेदार के जरिये रखे 100 मजदूरों को 12 घण्टे रोज पर तीस दिन में 2500 रुपये – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; **बरकत उद्योग,** संजय मेमोरियल (मुजेसर) में हैल्पर की तनखा 1500-1700 रुपये, ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं; **सुपर आटो इलेक्ट्रीकल्स,** 9 जे सै-6, में ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को अप्रैल की तनखा 17 मई को देनी शुरू की; **हिन्दुस्तान वैक्यूम ग्लास,** 64 ए इन्ड. एरिया, में मार्च और अप्रैल की तनखायें 18 मई तक नहीं, स्टाफ की 8 महीनों की तनखा कम्पनी के जमा खाते में, श्रम विभाग में कम्पनी के खिलाफ 18 मामले; **रेक्सर,** 99 सै-24, में 8 की बजाय 10½ घण्टे की ड्युटी, श्रम अधिकारी द्वारा 30 अप्रैल को खानापूर्ति; **सिफ्टर इन्टरनेशनल,** 86 सै-6, में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये – ई.एस.आई. व पी. एफ. नहीं, हर 6 महीने बाद कम्पनी सै-25 वाले प्लान्ट में भेज देती है पर पक्के नहीं करती; **जे.एल. इंजिनियरिंग,** 14 इन्ड. एरिया, में हैल्पर की तनखा 1400-1500 रुपये; **महावीर डाइकास्टिंग,** 134-5 सै-24, में 12-12 घण्टे की शिफ्ट, साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी जबरन ड्युटी, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **ब्रॉन लैबोरेट्री,** 13 इन्ड. एरिया, में ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को अप्रैल की तनखा 18 मई तक नहीं; **साधु फोरजिंग,** 84 सै-24, में 12-12 घण्टे की शिफ्ट; **फ्लोवेल,** 27 सै-6, में हैल्पर की तनखा 1500 रुपये; **शिवालिक ग्लोबल,** 12/6 मथुरा रोड़, में सुबह 9 से रात 2 बजे तक जबरन रोकते हैं, नींद पूरी नहीं होती, अप्रैल की तनखा 16 मई तक नहीं; **वी एन जी आटोमोटिव्स,** 4 सै-24, में हैल्पर की तनखा 1500 रुपये, डाइकास्टिंग में 12-12 घण्टे की शिफ्ट, ओवर टाइम सिंगल रेट से; **वैल्डन सेलोप्लास्ट,** 92 सै-6, में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये – ई.एस.आई. व पी. एफ. नहीं, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **जगसनपाल फार्मास्युटिकल्स,** 12/4 मथुरा रोड़, में जुलाई 04 और जनवरी 05 से देय डी.ए. नहीं दे रहे; **गिरिसन टूल्स,** 99 संजय कॉलोनी (सै-23), में 12-12 घण्टे की शिफ्ट, रोज 12 घण्टे पर महीने के 2400 रुपये, ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं, फैक्ट्री में तबीयत खराब होने पर भी छुट्टी नहीं – गोली खा कर काम करो, गालियाँ; **जे वी इलेक्ट्रोनिक्स,** 163-4 सै-24, में सफाई कर्मचारियों से दस्तखत 2344 पर करवाते हैं और देते 1500-1800 रुपये हैं; **अलॉय कास्ट,** 59 सै-6, में हैल्पर की तनखा 1600 रुपये – ई.एस.आई. व पी.एफ. नही, स्थाई मजदूरों को ओवर टाइम के पैसे डेढ की दर से और कैजुअलों को सिंगल रेट से; **विरमानी,** 138 सै-24, में हैल्पर को 60 रुपये रोज – साप्ताहिक छुट्टी नहीं, ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं, फैक्ट्री में काम करते 125 मजदूरों में से आधों को मई-आरम्भ में कम्पनी ने ठेकेदार के वरकर घोषित कर दिया है; **एवन ट्युब टेक,** 37 व 42 सै-6, में 12 घण्टे की शिफ्ट, ओवर टाइम सिंगल रेट से, कैजुअल वरकर की तनखा 2210 रुपये और ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्पर की 2100 तथा ऑपरेटर की 2270 रुपये; **न्यू रणधीर प्रेस टूल्स,** 397 सै-24, में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये – ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं; **भूपेन्द्रा स्टील,** 25 सै-6, में 400 मजदूरों में से 35 स्थाई और बाकी 12 ठेकेदारों के जरिये रखे, रोलिंग मिलों पर भारी गर्मी के कारण बदल-बदल कर 8 घण्टे में कुल 4 घण्टे मिल पर रहने के चलन को तोड़ कर कम्पनी ने 5 घण्टे मिल पर लगा कर भारी परेशानी पैदा की है; **एम.एम. एक्सपोर्ट,** 11/7 मथुरा रोड़, में ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से भी कम – 10 रुपये प्रति घण्टा; **स्टील फोर्ज,** 5 सै-6, में 60 स्थाई मजदूरों की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं – 100 कैजुअल और चार ठेकेदारों के जरिये रखे 100 वरकरों की नहीं, कैजुअल वरकर की तनखा 2050 रुपये और ठेकेदार के जरिये रखे हैल्पर की 1800 रुपये, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **जिन्दल रैक्टिफायर,** 195 सै-24, में कैजुअल वरकर से हस्ताक्षर 2344 रुपये पर करवाते हैं और देते 1700-1800 रुपये हैं; **एस्कोर्ट्स एग्री मशीनरी ग्रुप** की फैक्ट्रियों में कैन्टीन वरकरों को ड्युटी के बाद जबरन रोकते हैं पर ओवर टाइम के पैसे नहीं देते।

दिल्ली से-..(पेज चार का शेष)

दिहाड़ी वाले मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, साप्ताहिक छुट्टी नहीं, त्यौहारी छुट्टी नहीं। जाँच करने वाले आते हैं तब 80 रुपये दिहाड़ी वालों को फैक्ट्री में इधर-उधर छिपाने के संग ही बगल की डी-64 फैक्ट्री में भी भेज देते हैं और उस समय पानी पीने भी नहीं जाने देते –2-3-4 घण्टे चुपचाप बैठे रहो। तीन-चार साल 80 रुपये दिहाड़ी के बाद 90 रुपये दिहाड़ी करते हैं और तब इन 90 में से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं – ई.एस.आई. का कच्चा कार्ड देते हैं पर उसकी मियाद पूरी होने पर दूसरा नहीं बनाते। ब्रेक करते रहते हैं और हर बार नई फोटो लेते हैं – पुरानी फोटो-फाइल जला देते हैं। फैक्ट्री में सुबह 9½ से साँय 6 की शिफ्ट है और फिर महिला मजदूरों को रात 8 बजे तक तथा पुरुषों को रात 10 बजे तक रोकते हैं – काम होने पर 1 बजे तक व ज्यादा काम होने पर सुबह 6 बजे तक रोक लेते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। सुबह 10 मिनट देर होने पर आधे घण्टे के पैसे काट लेते हैं परन्तु छूटने के समय 20 मिनट जब ज्यादा रोकते हैं तब उसे दर्ज ही नहीं करते। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है, भोजन करने के लिये जगह भी नहीं है, 10½-12½घण्टे में कम्पनी एक कप चाय भी नहीं देती।"

प्रिसिजन कम्पोनेन्ट्स मजदूर : "एफ-47 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में तनखा देरी से देते हैं – अप्रैल का वेतन 20 मई को दिया। फैक्ट्री में रोज सुबह 9 से रात 8½ बजे तक काम होता है – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 1300-1500 और कारीगरों की 1600-3000 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. हम 35 में से 5 के ही। अधिकारी जाँच के लिये आते हैं तब हमें ऊपर दो कमरों में बन्द कर देते हैं। पीतल पॉलिश में बुरादे से शरीर जलता रहता है – चोट लगने पर दो दिन पट्टी करवा देते हैं और फिर मजदूर अपने पैसों से दवा करवाये।"

नूटेक प्रेस वरकर : "बी-240 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 8 घण्टे के 80 रुपये और 12 घण्टे के 105 रुपये देते हैं – साप्ताहिक छुट्टी नहीं। अप्रैल की तनखा आज 13 मई तक नहीं दी है।"

एस.पी.जे. कन्सल्ट मजदूर : "डी-45 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से रात 8½ बजे तक की शिफ्ट है। पीतल पर पॉलिश वालों को प्रति किलो के हिसाब से और बाकी मजदूरों को 1½ की दर से ओवर टाइम के पैसे। हैल्परों की तनखा 2000 रुपये – 1½ साल से काम कर रहे कारीगरों को कैजुअल कहते हैं और उनकी तनखा 2700 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. 60-65 मजदूरों में से 27-28 के ही हैं। स्थाई मजदूरों में कुशल कारीगरों को अर्ध-कुशल का ग्रेड देते हैं। साल-दो साल में अधिकारी जाँच करने आते हैं तब 1½ घण्टे की खातिर ड्रैस देते हैं.... फैक्ट्री में साहब भद्दे ढँग से बोलते हैं।"

एल.एम. सागर एक्सपोर्ट वरकर : "बी-237 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में ओवर टाइम के पैसे कानून अनुसार दुगनी दर से माँगने पर फिनिशिंग विभाग के दो मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है। यहाँ कई कम्पनियों के नाम हैं और नाइट लगाते हैं तब रात 2 बजे छोड़ते वक्त गेट पास पर कम्पनी की मोहर नहीं लगाते जिस पर रास्ते में पुलिस परेशान करती है। अप्रैल की तनखा हमें आज 13 मई तक नहीं दी है। जनरल मैनेजर खुलेआम मजदूरों को धमकाता है।"

कुछ ठहर कर

सुपर फैशन मजदूर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में उत्पादन इतना निर्धारित कर रखा है कि ड्युटी के दौरान पूरा नहीं होता। निर्धारित उत्पादन देने के नाम पर महिला मजदूरों को ड्युटी के बाद दो घण्टे रोक लेते हैं। इन दो घण्टे के लिये कोई पैसे नहीं देते। रुकने से इनकार करने पर तनखा में से पैसे काटने, नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। पानी- पेशाब के लिये पास लेना अनिवार्य कर रखा है और जब तक एक लौट कर नहीं आती- आता तब तक दूसरे को जाने नहीं देते। साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम का भुगतान सिंगल रेट से। फैक्ट्री में दो इन्चार्ज तो हमें ज्यादा ही परेशान करते हैं।"

लखानी इण्डिया वरकर : "प्लॉट 265- 266 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में मोल्डिंग विभाग में अप्रैल- अन्त से तीन की जगह दो शिफ्ट कर कम्पनी अब लास्टिंग, कनवेयर और मोल्डिंग मजदूरों से 12- 12 घण्टे की ड्युटी ले रही है। केवल बाहर गेट पर कार्ड पंच करते हैं — अन्दर रिकार्ड में 12 घण्टे दिखा नहीं रहे। महिला मजदूरों की 10 घण्टे रोज ड्युटी कर रखी है। लगातार 12 घण्टे खड़े रहना पड़ता है — कम्पनी एक कप चाय भी नहीं देती। फैक्ट्री में कैन्टीन है पर रात 9 से सुबह 6 बजे तक बन्द रहती है। वैसे भी, कैन्टीन की चाय बहुत घटिया है और रोटी व सब्जी दोनों खराब रहते हैं। नये मजदूरों को सुपरवाइजर गाली- धमकी देते हैं। फैक्ट्री में एडीडास के लिये महँगे जूते बनते हैं।"

ग्लोब कैपेसिटर मजदूर : "22 बी इन्ड. एरिया स्थित फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और वह भी दो घण्टे के ही। कम्पनी ने 8 घण्टे की बजाय ड्युटी ही 10 घण्टे की कर रखी है। हैल्पर को 10 घण्टे काम के 60 रुपये देते हैं। रविवार को भी छुट्टी नहीं। कम्पनी एक कप चाय तक नहीं देती। ई.एस.आई. व पी.एफ.15 प्रतिशत मजदूरों के ही हैं। सुपरवाइजर गाली देते हैं।"

पूजा फोर्ज वरकर : "14/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं परन्तु ओवर टाइम के पैसे दो घण्टे के ही देते हैं और वे भी सिंगल रेट से। स्थाई, कैजुअल, स्टाफ — पूजा फोर्ज में सब की ड्युटी ही 10 घण्टे रोज कर रखी है। कैजुअल वरकर को रोज 10 घण्टे और महीने के तीसों दिन काम पर सरकार द्वारा हैल्पर के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन देते हैं। फैक्ट्री में 400 स्थाई, 200 कैजुअल और 200 स्टाफ के लोग हैं। कैजुअल वरकरों की तो ई. एस.आई. व पी.एफ. हैं ही नहीं — आधे स्टाफवालों और आधे स्थाई मजदूरों की भी नहीं हैं। चोटें लगती रहती हैं और अंग भंग होते रहते हैं पर कम्पनी रिकार्ड रखती ही नहीं — फैक्ट्री में सेफ्टी अफसर है ही नहीं। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है और भोजन अवकाश के समय भी बाहर नहीं जाने देते। चेयरमैन जगदीश अग्रवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष अग्रवाल मजदूरों व स्टाफ के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गाली भी देते हैं।"

पोली मेडिक्युअर मजदूर : "प्लॉट 104- 5 व 113- 15 सैक्टर- 59 स्थित फैक्ट्री में पुरुष वरकरों की 12- 12 घण्टे की शिफ्ट हैं — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी. एफ. के पैसे तनखा में से काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। कार्य के दौरान इंजेक्शन की सूई व छुरी से हाथ लहुलुहान होते रहते हैं — वहीं पट्टी कर काम में जोते रखते हैं। फैक्ट्री के बाहर हमें खुद दवाई- पट्टी का खर्च उठाना पड़ता है। छह महीने में ब्रेक कर देते हैं। वर्दी की जटिल समस्या है — ड्युटी के लिये जल्दी पहुँचो, भोजन अवकाश में वर्दी उतारने व फिर पहनने के चक्कर में भोजन के लिये नाममात्र का समय बचता है। फैक्ट्री में पुरुष मजदूरों के लिये भोजन के स्थान का प्रबन्ध नहीं है। कैन्टीन नहीं है — कम्पनी 12 घण्टे के दौरान एक कप चाय तक नहीं देती और चाय पीने बाहर जाने नहीं देती।"

सुमीत इंजिनियरिंग वरकर : "प्लॉट 219 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में 25 स्थाई मजदूर और पाँच ठेकेदारों के जरिये रखे 225 वरकर हैं। इधर हैल्परों की तनखा 1500 से 1700 रुपये की है पर ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। राजकुमार की 3 मार्च को दो उँगली कटी और तीन फट गई तब कम्पनी ने ई.एस.आई. का जुगाड़ किया। इधर 13 मई को ई.एस.आई. डॉक्टर की फिटनेस ले कर राजकुमार फैक्ट्री पहुँचा तो उसे ड्युटी पर नहीं लिया। साहब बोले कि वह ठेकेदार का वरकर था — ठेका खत्म हो गया है।"

फाइव एस इंजिनियरिंग मजदूर : "प्लॉट 10- 11 डबुआ- पाली रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की शिफ्ट हैं — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्पर की तनखा 1200 रुपये और प्रेस ऑपरेटर की 1700- 1800 रुपये। फैक्ट्री में 125 मजदूर काम करते हैं पर ई.एस. आई. व पी.एफ. 10- 12 की ही। साहब गाली देते हैं और निकालने/छोड़ने पर 10 दिन के पैसे खा जाते हैं।"

भाटिया क्रेन वरकर : "20/6 मथुरा रोड़ स्थित कम्पनी में 60- 70 मजदूर काम करते हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. किसी के नहीं हैं। पी. एफ. विभाग ने 12 फरवरी को छापा मारा था और मजदूरों के नाम लिख कर ले गये थे। छापे के बाद यहाँ इस- उस नाम के 2- 3 बोर्ड लगा दिये हैं — बस। कम्पनी में गर्मियों में सुबह 8½ से रात 8 तक और सर्दियों में रात 7 बजे तक ड्युटी — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्पर की तनखा 1500- 2000 रुपये।" ☞

क्लच आटो वरकर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में अप्रैल की तनखा कैजुअल वरकरों को 9 मई को दी और स्थाई मजदूरों को 11 को देनी शुरू की पर आधे से ज्यादा को आज 16 मई तक नहीं दी है। इधर कम्पनी स्थाई मजदूरों को निर्धारित उत्पादन से 50 प्रतिशत अधिक देने की कह रही है और दबाव के लिये गेट रोक रही है, निकालने की धमकी दे रही है।"

युवा मजदूर

15 से 20 वर्ष आयु के कुछ मजदूरों की एक झलक

दिव्या प्रिसाइज इंजिनियरिंग मजदूर : "50ए/ 21 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 3 मई को सुबह चाय ब्रेक के समय हम अन्य दिनों की ही तरह इक्ट्ठे चाय पी रहे थे। फैक्ट्री में आया डायरेक्टर का ससुर (जो कि अन्य फैक्ट्री का डायरेक्टर है) यह देख कर गर्म हो गया। हम में से एक ने चाय ब्रेक की बात उसे बताई तो वह बोला कि अपनी- अपनी मशीन पर चाय पीओ। हमारे एतराज पर ससुर साहब ने हम में से एक को धकिया कर फैक्ट्री से बाहर कर दिया। इसके विरोध में हम बाकी 7 मजदूरों ने हाथ धोये, कपड़े बदले और 10½ बजे फैक्ट्री से बाहर आ गये। फैक्ट्री से निकलने के बाद हम एक यूनियन के पास गये। हम से यूनियन ने पैसे माँगे पर वैसे भी हमें यूनियन जँची नहीं....

उस फैक्ट्री में फिर नौकरी की बात को सिरे- से ही खारिज करते यह युवा मजदूर "क्या करें?" के मन्थन के दौरान मुखर थे। नौकरी की मजबूरी, नई जगह नौकरी में मात्र उन्नीस- बीस वाले फर्क, नये सिरे से नये लोगों से तालमेल बनाने पड़ेंगे..... इन सब के दृष्टिगत जहाँ हैं वहाँ अपने बने हुये तालमेलों द्वारा हालात बदलने पर चर्चा। शुरुआती कदम के तौर पर श्रम विभाग में अनुचित श्रम व्यवहार की शिकायत और नौकरी बहाली के लिये कार्रवाई पर .... "अगर हम ने वहीं नौकरी करनी है तो चक्कर काट कर वहाँ पहुँचने की बजाय हम सीधे फैक्ट्रीवाले से ही बात क्यों न करें? वह गलती माने और आगे से ऐसा व्यवहार नहीं का आश्वासन दे तब हम वहाँ नौकरी करें।" आपस में तय कर यह युवा मजदूर फैक्ट्री डायरेक्टर के घर गये। वहाँ सब से मिलने की बजाय साहब ने एक मजदूर को बात करने बुलाया और गलती मानने की बजाय उल्टे कहा कि मजदूर माफी माँग कर काम करें। इस पर युवा मजदूरों ने श्रम विभाग में व डी. सी. को शिकायत की है। विभिन्न प्रकार के अपने स्वयं के झँझटों से जूझते यह युवा मजदूर काफी हद तक अपने तालमेलों को बनाये रख कर श्रम विभाग की टाल- मटोल व हेरा- फेरी के सम्मुख खड़े हैं।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी फरीदाबाद—121001

दिल्ली से-

जनवरी से देय डी.ए. की मई- अन्त तक दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा ही नहीं। 8 घण्टे की ड्युटी और साप्ताहिक छुट्टी पर दिल्ली सरकार द्वा नाई 04 से निर्धारित कम से कम तनखा हैल्पर के लि. 2863 रुपये और कारीगर के लिये 3287 रुपये महीना है।

रीनोक्स इंजिनियरिंग मजदूर : "डी-9/4 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 8½ बजे तक 11½ घण्टे की ड्युटी है – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 1600 रुपये – दो महीने पहले 1500 ही देते थे। कारीगरों का वेतन 2500 रुपये से आरम्भ। ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं। स्टील पर पॉलिश होती है और काम बहुत ज्यादा रफ्तार से – हर समय एक्सीडेन्ट का ख तरा बना रहता है। हमारी निगरानी के लिये फैक्ट्री में चार कैमरे भी लगा रखे हैं।"

पीएम्परो एक्सपोर्ट वरकर : "एफ-2/6 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 8½ बजे तक, पूरे वर्ष हर मजदूर को रोज 11½ घण्टे काम करना ही पड़ता है। सितम्बर से फरवरी के दौरान महीने में 15 दिन सुबह 9 से रात 1½ बजे तक, 16½ घण्टे काम करना पड़ता है। आल्टर वालों की तो हर समय ही सुबह 9 से रात 1½ बजे तक ड्युटी रहती है। धागा काटने वाली महिला मजदूरों को भी कभी-कभी रात 1½ बजे तक रोक लेते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री महीने के तीसों दिन चलती है – मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं। दो ठेकेदारों के जरिये रखी 50 धागा काटने वाली महिला मजदूरों की तनखा 1300-1500 रुपये है। स्टाफ वालों के संग 10-12 मजदूर ही स्थाई हैं और इनके ही ई.एस. आई. व पी.एफ. हैं। छह महीने बाद निकाल दिये जाने वाले, पीस रेट वाले और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है – 11½घण्टे में कम्पनी एक कप चाय देती है परन्तु धागा काटने वाली महिला मजदूरों को यह भी नहीं। बायर को दिखाने के लिये कम्पनी ने फार्म भरवाये जिनमें 8 घण्टे ड्युटी पर 26 दिन में कारीगर को 6500 रुपये से अधिक दिखाये जबकि वास्तव में 12 घण्टे रोज पर 30 दिन में 4000 का औसत भी नहीं पड़ता। सुपरवाइजर पेशाब-लैट्रीन का समय नोट करते हैं – पूछते हैं कि इतने मिनट कैसे लगे। सुपरवाइजरों-मास्टरों-जनरल मैनेजर का व्यवहार बहुत गन्दा है – झाड़ते हैं, गाली देते हैं। बेसमेन्ट में गर्दा बहुत रहता है – कम्पनी ने एग्जास्ट पँखे भी नहीं लगा रखे।"

सीमा ओवरसीज मजदूर : "टी-7 ओखला फेज-II स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 1500 रुपये और कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती हैल्परों को 2500 रुपये महीना तनखा देते हैं। फैक्ट्री में रोज सुबह 9 से रात 8½ बजे तक 11½ घण्टे काम करना पड़ता है और उसके बाद महीने में 10 दिन रात 2 बजे तक काम करवाते हैं। जब सुबह 4 बजे तक काम होता है तब फैक्ट्री में रोक लेते हैं (कमरे पर गये तो आयेंगे नहीं) और सुबह 9 बजे फिर काम में जोत देते हैं। फैक्ट्री में पीतल पर पॉलिश का काम होता है और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

आई.सी.एम. वरकर : "डी-63 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में 80 रुपये **(बाकी पेज दो पर)**

विचारणीय

सभ्यता बनाम स्वास्थ्य

छवि। छवि बनाना। छवि बिगाड़ना। सभ्यता के बढने के संग छवि का अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जाना। क्षणिक और तात्कालिक हितों को सर्वोपरि महत्व देने वाली मण्डी आधारित सभ्यता के वर्तमान दौर के पण्डितों ने तो छवि को ही सर्वस्व घोषित किया हुआ है।

वास्तविकता को ढकना-छिपाना, बल्कि हकीकत को नकारना, छवि के महत्व की रचना के प्राथमिक कदम हैं। समुदाय रूपी समाज व्यवस्थाओं का टूटना और सभ्यता का उदय, ऊँच-नीच वाली समाज व्यवस्थाओं की स्थापना गिरगिट को मात देने के संग हकीकत को अधिकाधिक नकारना और छवि को बढता महत्व देना लिये आई। वीभत्स ताण्डवों की अटूट श्रृंखला सभ्यता के विकास व विस्तार की वास्तविकता है जबकि सभ्यता के पैरोकारों ने सभ्यता की छवि सार्विक हित साधने की ओर अग्रसर वाली की बनाई है। सभ्यता के शिखर पर हकीकत में आज हर व्यक्ति की हर समय स्वयं को बेचने की मजबूरियाँ हैं, कदम कदम पर मन मार कर समझौते करने की अनिवार्यतायें हैं, प्रत्येक सम्बन्ध-रिश्ते को मैनेज करने की अभिशप्तता है..... इस वास्तविकता को बदलने के लिये सभ्यता से पार पाना जरूरी है। इस सिलसिले में छवि के स्थान पर हकीकत को सामने लाना महत्वपूर्ण है। इस सन्दर्भ में एक पहलू को लेने के लिये हम यहाँ मार्क नाथन कोहेन की पुस्तक "हैल्थ एण्ड दा राइज ऑफ सिविलाइजेशन" का उपयोग कर रहे हैं।

मनुष्यों की ही भाँति पालतू बना लिये गये पशु-पक्षियों को मण्डी की जरूरतों ने असीम क्रूरता का शिकार बना दिया है। और, चन्द "छुट्टे" (जंगली, नंगे, घुमक्कड़) मनुष्यों की ही तरह "छुट्टे" पशु-पक्षी भी मण्डी की चपेट में, जाल में, बन्धनों में हैं फिर भी हमारी दयनीय-असहाय जिन्दगियों की तुलना में यह "छुट्टे" मौज में लगते हैं। खैर। आइये जंगली बनाम सभ्य मनुष्यों के स्वास्थ्य पर एक नजर डालें।

मानव कंकालों के अध्ययनों से पता चला है कि कन्द-मूल व फल-फूल बटोरते आदिम घुमक्कड़ लोगों में मधुमेह, उच्च रक्त चाप, हृदय रोग बहुत-ही कम थे। इसी प्रकार कमजोर पाचन से जुड़े उदर रोग, आंत रोग भी उनमें अत्यन्त कम पाये गये। कंकालों का अध्ययन बताता है कि जंगली मानवों में कैन्सर का होना तो सभ्यता में मानवों में कैन्सर होने की तुलना में और भी कम था।

दरअसल यह छवि का झमेला है। छवि बनाई गई है कि सभ्यता मानव खुशहाली की प्रतिनिधि है जबकि तथ्य इसकी पुष्टि नहीं करते। छवि का निर्माण चन्द सम्पन्न तबकों के आधार पर उनके हित में, वो भी वास्तव में कथित हित ही....

पुरातत्व स्थलों और ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त जानकारियाँ सभ्यता के बढने के संग मानवों के बीच हिंसा के कम होने की बजाय हिंसा के बढने की गवाही देती लगती हैं।

बचे-खुचे जंगली मानवों के अध्ययन और पुरातत्व के लेखे-जोखे सभ्यता के संग मानव भोजन की मात्रा व गुण में सतत गिरावट इंगित करते हैं। कन्द-मूल व फल-फूल बटोरने और शिकार करने वाले हमारे पुरखों का भोजन और कद-काठी बाद की पीढियों से बेहतर थे। हमारे घुमन्तु पुरखों के कंकालों में भोजन की कमी के लक्षण नहीं मिलते। वे छरहरे थे पर उनका भोजन सन्तुलित था। उनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी हमारी तुलना में बहुत-ही कम थी। रक्त की कमी आदि सभ्यता के साथ आबादी के बढते हिस्से में बढती आई हैं।

स्थिर बसावट लाई सभ्यता ने खेती और भण्डारण के जरिये कुछ लोगों के लिये भोजन के संकट पैदा होने रोके हैं परन्तु अधिक लोगों के लिये यह संकट घुमन्तु जंगलियों की तुलना में बढे ही हैं। सभ्यता अधिकतर व्यक्तियों के भोजन की सुनिश्चितता में सुधार नहीं करती।

कंकालों का अध्ययन इंगित करता है कि हमारे प्राचीन घुमन्तु पुरखों में क्षय रोग, कोढ बहुत-ही कम थे – यह स्थिर बसावट व घनी आबादी के रोग हैं, सभ्यता के रोग हैं। लेप लगा कर सुरक्षित रखे गये अलग-अलग दौर के शवों का तुलनात्मक अध्ययन आंत के कीटाणु जनित रोगों के बसावट के साथ बढने की बात करता है। मलेरिया, प्लेग आदि महामारियों का भय सभ्यता के साथ बढा है – घुमन्तुओं में बीमारियों के भण्डार अस्पतालों का नहीं होना बीमारियों के फैलाव को रोकता था।

तनाव, भय, चिंता, दुःख, क्रोध, घुटन, तिकड़मबाजी, हेराफेरी, कुपोषण, प्रदूषण तन व मन के रोगों के प्रमुख कारण हैं। सभ्यता के संग, सभ्यता के बढने के संग अधिकाधिक लोग तन के रोगों के शिकार हो रहे हैं और मन के रोगों ने तो महामारी का रूप धारण कर लिया है। सभ्यता हमें सामाजिक मनोरोग की अवस्था में ले आई है।

(कोहेन की "हैल्थ एण्ड दा राइज ऑफ सिविलाइजेशन" के चन्द पन्ने एक मित्र ने भेजे।)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।